उत्तर प्रदेश शासन
गृह (पुलिस) अनुभाग–6
संख्या 588 पी / छः–पु0–6–12–1198 / 99
लखनऊ, दिनांक 22 जून, 2012

कार्यालय ज्ञाप

पुलिस विभाग के अधिकारियों / कर्मचारियों को विशेष जोखिम भरे कार्य के दौरान अदम्य साहस एवं विशिष्ट वीरता प्रदर्शित करते समय मृत्यु होने पर देय अनुग्रह धनराशि में वृद्धि किये जाने विषयक शासनादेश संख्या 3590 पी / छ–पु–6–05–1198 / 99, दिनांक 5 दिसम्बर, 2005 में मृतक पुलिस कर्मियों के आश्रितों को रु0 10,00,000 / –(रु0 दस लाख मात्र) की अनुग्रह धनराशि दिये जाने की व्यवस्था है।

2– उक्त शासनादेश को संशोधित करते हुये वित्त (सामान्य) अनुभाग–3 द्वारा जारी कार्यालय ज्ञाप संख्या सा–3–1287 / दस–2010, दिनांक 28–07–2010 में निहित व्यवस्था के अनुसार दिनांक 01 जनवरी, 2006 से नीचे उल्लिखित परिस्थितियों में उनके सम्मुख अंकित धनराशि मृत पुलिस कर्मियों के आश्रितों को भी देय होगी:–

(क)	यदि कर्तव्यपालन की अवधि में दुर्घटना में मृत्यु हो जाती है	रु0 10,00,000 / –
(ख)	कर्तव्यपालन के समय आतंकवादी / अराजक तत्वों की गतिविधियों में हुई हिंसा के फलस्वरुप मृत्यु होने पर	रु0 10,00,000 / –
(ग)	देश की सीमा पर अन्तर्राष्ट्रीय युद्व या सीमा पर छुटपुट घटनाओं अथवा लड़ाकू / आतंकवादियों अथवा अतिवादी आदि की गतिविधियों के फलस्वरुप मृत्यु होने पर	रु0 15,00,000 / –
(घ)	अति दुर्लभ पहाड़ी ऊंचाइयों / दुर्लभ सीमा अथवा प्राकृतिक विपदाओं अथवा अति खराब मौसम में कर्तव्यपालन करते हुये मृत्यु होने पर	रु0 15,00,000 / –

3– उक्त शासनादेश दिनांक 5–12–2005 इस सीमा तक संशोधित माना जायेगा तथा शेष शर्तें यथावत रहेंगी।

4– यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या सा–3–392 / दस–2012, दिनांक 01 मई, 2012 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

ह0 / –
(सुभाष चन्द्र शर्मा)
सचिव, गृह विभाग।

संख्या 588 (1)पी/छः—पु0—6—12 तद्‌दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः—

1— समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
2— महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/ आडिट प्रथम, उ0प्र0, इलाहाबाद।
3— अपर पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 पुलिस मुख्यालय, इलाहाबाद।
4— वित्त (सामान्य) अनुभाग—3 (5 प्रतियां)।
5— वित्त (आय—व्ययक) अनुभाग—2
6— वित्त (व्यय—नियंत्रण) अनुभाग—12
7— गृह (पुलिस) अनुभाग—1/2/7/10
8— गृह (पुलिस सेवायें) अनुभाग—1/2
9— गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

ह0/—
(मदन किशोर श्रीवास्तव)
संयुक्त सचिव, ।